

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :- 2706/2025

श्रीमति रिम्पल मूलवानी

—अपीलार्थी

बनाम

1. सचिव, शिक्षा विभाग, सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।

—प्रत्यर्थागण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 05.05.2025

आदेश की दिनांक : 02.06.2025

उपस्थित —

अपीलार्थी की ओर से : श्री बी.बी.एल. शर्मा, अधिवक्ता

समक्ष :- विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क रहा है कि प्रत्यर्था विभाग ने प्रतिबंध अवधि में बिना सोचे-समझे दिनांक 12.4.2025 को आलौच्य स्थानांतरण आदेश जारी कर दिया, जिसके तहत अपीलार्थी को पदोन्नति के नए आदेश के नाम पर राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय तेलीपाड़ा, जयपुर में प्रधानाचार्य से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दरोलाई, आंधी, जयपुर में स्थानांतरित कर दिया गया, जो वर्तमान पदस्थापन स्थान से लगभग 78 किमी दूर है। (अनुलग्नक-1) प्रत्यर्था विभाग ने उसी विद्यालय में पदोन्नति पर दिनांक 24.01.2025 को पूर्व में पदस्थापना आदेश जारी किया था तथा दिनांक 24.01.2025 के आदेश के अनुपालन में अपीलार्थी ने दिनांक 05.02.2025 को उसी विद्यालय में प्रधानाचार्य के पद पर कार्यभार ग्रहण कर लिया। तालिका में अंकित आलोच्य आदेशों द्वारा अपीलार्थी को पदोन्नति उपरान्त नवीन पदोन्नति पद पर पदस्थापित किये जाने के आदेश पारित किये गये हैं, जिस पदस्थापन आदेश को अपीलार्थी द्वारा अपनी अपील में चुनौती दी गई है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का मुख्य रूप से तर्क है कि वर्तमान विद्यालय एवं आस-पास के विद्यालयों में पदोन्नति पद के

रिक्त पद उपलब्ध हैं, परन्तु फिर भी उन रिक्त पदों को काउंसलिंग के दौरान दर्शाया नहीं गया है। इस कारण अपीलार्थी को दूरस्थ स्थान पर पदस्थापित किया गया है, जो उचित नहीं है। अपीलार्थी का यह भी तर्क रहा है कि प्रत्यर्थी विभाग ने अनावश्यक रूप से रिक्त पदों को काउंसलिंग में छिपाते हुए अपीलार्थी को दूरस्थ पदस्थापित किया है, जो उचित नहीं है। दूर पदस्थापन किये जाने के कारण उन्हें व्यक्तिगत एवं पारिवारिक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा।

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से अधिवक्ता द्वारा यह कथन किया गया है कि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार काउंसलिंग की गयी है और जिन पदों पर अपीलार्थीगण का पदस्थापन किया जाना आवश्यक था, उन्हीं पदों को काउंसलिंग के दौरान दर्शाया गया है। काउंसलिंग नियमानुसार की गयी है, जिसके पश्चात मैरिट के आधार पर अपीलार्थीगण का पदस्थापन किया गया है, जो नियमानुसार है। ऐसे में अपीलार्थीगण को जिन स्थानों पर पदस्थापित किया गया है, यहां पर उन्हें कार्य ग्रहण करना आवश्यक है।

हमने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी, पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का परिशोलन कर मनन किया गया।

हम पाते हैं कि समान मामले में माननीय उच्च न्यायालय ने प्रकरण एसबी सिविल रिट याचिका संख्या-8387/2025 महीरान बनाम राजस्थान राज्य में आदेश दिनांक 24.04.2025 पारित किया है, जिसमें निम्न प्रकार से आदेश पारित किया गया है:-

"8. Meanwhile, the effect and operation of order dated 12.04.2025 (Annexure-4) shall remain stayed qua the present petitioner.

9. Further, the petitioner shall meanwhile be also at liberty to file a detailed representation raising all his grievances before the Competent Authority within a period of five days from now.

10. On such representation been filed, the respondent authorities shall be under an obligation to decide the same positively within a period of two weeks."

इस प्रकार माननीय उच्च न्यायालय ने समान मामले में याचि को प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये हैं और अभ्यावेदन के निस्तारण तक आलोच्य आदेश की कियान्विति स्थगित रखी गयी है। अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए हस्तगत अपीलों में न्यायहित में अपीलार्थी को निर्देश दिये जाते हैं कि वे अपने सक्षम अधिकारी के समक्ष एक अभ्यावेदन इस आदेश की दिनांक से 2 सप्ताह में प्रस्तुत करें तथा प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिया जाता है कि अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को प्राप्त होने की दिनांक से 4 सप्ताह में अभ्यावेदन पर आख्यात्मक आदेश पारित कर अपीलार्थी को सूचित करें। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा उक्त अभ्यावेदन का निस्तारण नहीं

किये जाने तक अपीलार्थी के संबंध में पारित आलोच्य आदेशों का क्रियान्वयन (Operation) अपीलार्थी की सीमा तक स्थगित रहेगा एवं साथ ही यह स्पष्ट किया जाता है कि अपीलार्थी को वहीं कार्यरत रखा जायें जहाँ वह चुनौती आदेश पारित किये जाने से पूर्व कार्यरत थें।

यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देशों की पालना अपीलार्थी द्वारा नहीं किये जाने पर यह स्थगन आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी हो जावेगा।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(विकास सीतारामजी भाले)
अध्यक्ष